भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **196** जिसका उत्तर
मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 (30 आषाढ़, 1948, (शक)) को दिया जाना है

समुद्री क्षेत्र में उभरते जोखिमों के लिए नाविक सुरक्षा ढांचा

196 श्री संजय कुमार झा :

क्या **पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, समुद्री श्रम नियमावली और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत नाविकों की सुरक्षा के लिए भारत में कानूनी और नियामक ढांचा होने के बावजूद, संघर्षरत समुद्री इलाकों में भारतीय नाविकों से जुड़ी हालिया घटनाओं ने संचालन संबंधी नए जोखिमों को उजागर किया है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय का मानना है कि मौजूदा ढांचा संघर्षरत क्षेत्रों में तैनाती, आपातकालीन चिकित्सा निकासी और संकट के समय प्रतिक्रिया जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त है; और
(ग) यदि नहीं, तो नाविकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किन विधायी या नीतिगत संशोधनों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): 15 मार्च, 2026 से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 प्रवृत्त है। यह अधिनियम, अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानकों के अनुरूप भारत के समुद्रीय कानूनी ढांचे का समकालीन आधुनिकीकरण करता है और नाविकों की सुरक्षा, कल्याण और अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करता है। यह परित्यक्त नाविकों के

लिए कानूनी सुरक्षा उपाय लागू करता है, भर्ती और प्लेसमेंट सेवाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करता है, और विकसित हो रहे अंतरराष्ट्रीय समुद्री श्रम मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत नियामक, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने संघर्ष-संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में विकसित हो रही सुरक्षा स्थितियों के प्रतिक्रिया में परामर्श और परिपत्र जारी किए हैं। विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

1. एडवाइजरी में सावधानी बरतने के उपाय, अधिक सुरक्षा सतर्कता, रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ, 24x7 आपातकालीन संपर्क तंत्र, विदेश में भारतीय मिशनों के साथ समन्वय, पहचाने गए संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर प्रतिबंध, आपातकालीन तैयारियों पर मार्गदर्शन, और नाविकों एवं हितधारकों को सुरक्षा संबंधी जानकारी का प्रसार शामिल हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

i. **डीजीएस एडवाइजरी (14.01.2026)** - ईरान पर विदेश मंत्रालय की परामर्शिका के मद्देनजर भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए एडवाइजरी, जिसमें शिपिंग कंपनियों को परामर्श दिया गया था कि अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को ईरान न भेजा जाए, इस क्षेत्र में भारतीय कर्मीदलों की बारीकी से निगरानी अपेक्षित है, और नाविकों को निर्देश जाएं कि वे भारत के दूतावास और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श का पालन करें।

ii. **डीजीएस का 2026 परिपत्र 09 (28.02.2026)** - ईरान में बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए तत्काल एडवाइजरी, जिसमें ईरान में भारतीय नाविकों को सतर्क रहने, भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने, जहां संभव हो, सुरक्षित प्रस्थान के लिए समन्वय करने की आवश्यकता और हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों का विवरण तत्काल प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

iii. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 10 (06.03.2026)** - फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के जलक्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी, जिसमें निरंतर सतर्कता बनाए रखने, आईएसपीएस कोड सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने, 24x7 आपातकालीन संपर्क तंत्र स्थापित करने, भारतीय मिशनों से संपर्क बनाए रखने, आपातकालीन तैयारी, और जहां आवश्यकता हो, नाविकों व उनके परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता प्रदान करने का परामर्श दिया गया है।

iv. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 11 (07.03.2026)** - समुद्री हितधारकों और नाविक समुदाय के लिए सोशल मीडिया एडवाइजरी, जिसमें समुद्री हितधारकों को अप्रमाणित जानकारी, अफवाहों, नकली वीडियो या अटकलबाजी वाली रिपोर्टों को प्रसारित करने से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करने का निर्देश दिया गया है।

v. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 21 (07.04.2026)** - ईरानी बंदरगाहों में किनारे पर और ईरानी जलक्षेत्र में या उसके आसपास प्रचालित जलयानों पर भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी, जिसमें ईरान में नाविकों को निर्दिष्ट स्थानों पर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने, अत्यधिक सतर्कता बनाए रखने, दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने और कंपनी प्रतिनिधियों के संपर्क में रहने का परामर्श दिया गया, साथ ही 24x7 आपातकालीन सहायता संपर्क विवरण भी प्रदान किए गए हैं।

vi. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 31 (13.06.2026)** - खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षात्मक उपाय, जिसमें बढ़ी हुई सुरक्षा सतर्कता को दोहराया गया है, शिपिंग कंपनियों और आरपीएसएल कंपनियों को अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को संघर्ष क्षेत्रों में तैनाती पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है (सहमति से आपातकालीन क्रू परिवर्तन को छोड़कर), निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, और सत्यापित सुरक्षा जानकारी का प्रसार किया गया है।

2. इसके अलावा, नाविकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की गई है। हितधारकों को आपातकालीन संचार तंत्र स्थापित करने, भारतीय मिशनों और वाणिज्य दूतावास अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने, आधिकारिक एडवाजरी की निगरानी करने, प्रभावित नाविकों को सहायता प्रदान करने और संकट की स्थितियों के दौरान उचित समर्थन प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है।
